न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

पीठासीन अधिकारी :— श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :— 90 / 2024

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चमना पुत्र वलु जाति कोली निवासी पांचरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. केसरा पुत्र वलु 2. बादली पुत्री पुनमा पत्नी पुनाराम जाति कोली निवासी पांचरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 3. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

उपस्थितः वादी वकील— श्री घेवरराम देवासी

निर्णय

दिनांकः— 24/11/2025

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा पांचरला पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा में वादी के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 189 / 74 रकबा 2—0234 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि आई हुई है। वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी, कब्जाकाश्त की आई हुई है। जिस पर पीढियों से, वर्षों से वादी का सहज शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है, जो नक्श में भी किस्तवार तरमीमशुदा है। जिसमें वादी की रहवासीय पक्की ढाणी, पानी का टांका, बेरा इत्यादि स्थित है, लेकिन अभी भूमि की कीमतों में वृद्धि होने से वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 येन—केन प्रकारेण जबरन हड़प कर वादी को बेदखल करना चाहते है, जिससे ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण का अवैधानिक मनमाना व स्वेच्छाचारी है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी के खातेदारी, कब्जाकाश्त की भूमि पर कच्चा—पक्का निर्माण कर बलपूर्वक वादी को बेदखल करना चाहते है। जिसकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के प्रकरण संख्या 11 / 2023 निर्णय दिनांक 06.04.2023 की पालना में तहसीलदार सेड़वा के आदेश दिनांक 13.04.2024 की पालना में दिनांक 10.05. 2024 व 01.05.2024 को हल्का पटवारी फागलिया, आर.आई. फागलिया द्वारा वादग्रस्त भूमि के [illegible]र पक्के नेखम स्थापित किए गए। बिन्दु सं[illegible] व ईएफ पर निर्विवादित होने के [illegible] पक्के नेखम स्थापित किए गए तथा [illegible] विपक्षी संख्या 01 केसरा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:06:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

वलु का 0–08 हैक्टेयर पर पक्का मकान व बाड़ा होने के कारण अस्थाई नेखम स्थापित किया गया। वादी के खेत संख्या संख्या 189/74 पर 1. केसरा पुत्र वलु(हरा रंग दर्शाए अनुसार) रकबा 0–08 हैक्टेयर(एक पक्का कमरा, बाड़ा व काश्त कब्जा) व 2. बादली पुत्री पुनमा पत्नी पुनाराम (लाल रंग दर्शाए अनुसार) रकबा 0–08 हैक्टेयर(एक पक्का कमरा, बाड़ा व काश्त कब्जा) जिसे फर्द मौका में बरंग दर्शाया गया है, पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का अवैध कब्जा पाया गया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को हटाने को कहने पर प्रतिवादीगण ने अपना कब्जा हटाने से मना कर दिया, तब हल्का पटवारी द्वारा उक्त कब्जा हटाने के लिए वादी के समक्ष स्थिति के अनुसार मौका फर्द बनाई गई। उक्त भूमि पर विप्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, मौका की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी शांतिपूर्ण कब्जे में आई हुई है। जिसमें वादी की ढाणी बनी हुई है। जबरन व अवैध तरीके से कब्जा करने व ढाणी, मांठ को तोड़–फोड़ करने की फिराक में रहते हैं। इस प्रकार प्रतिवादी ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा हर समय उपर्युक्त कृत्य करने में भरपूर प्रयत्न करते रहते है तथा वादी को काश्त करने में भारी विघ्न इत्यादि डालते रहते है। वादी को ऐलानियां धमकियां भी देते हैं कि आपको जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा करेंगे। इस प्रकार वादी को प्रतिवादी ने हैरान परेशान कर रखा है। इस संबंध में वादी ने कई बार गांव के मौजिज पंच–मुख्यान से पंच–पंचायती भी करवाई, लेकिन प्रतिवादीगण अपनी बेजां हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वादग्रस्त भूमि को अवैध एवं विधिविरूद्ध तरीके से वादी खेत बंट को जबरन हड़प करना चाहते हैं तथा बेदखल कर कब्जा कर वादी के बंट, हिस्से, कब्जे में प्रवेश करना चाहते है तथा जबरन पक्का निर्माण करना चाहते हैं, जिन्हें रोकने हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्नलिखित अनुतोष वादी को दिलाया जावें कि सरहद मौजा पांचरला पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा में वादी के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 189/74 करबा 2–0234 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में वादी के बंट, हिस्से में, उपयोग में, ढाणी में प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश न करें, न ही वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी/अवरोध पैदा करें, न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। उक्त कृत्यों न तो स्वयं करें, न ही अन्य किसी व्यक्ति से करवायें। इस आशय की स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:06:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

निषेधाज्ञा की डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमावें। वादी के खातेदारी, कब्जाशुदा खेत खसरा नम्बर 189/74 के कुछ भाग पर(संलग्न मौका फर्द) पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन प्रवेश कर किया गया अतिक्रमण अपने स्वयं के खर्चे से हटाकर खाली कर दें तथा उक्त आराजी में आगे से आगे प्रतिवादी अतिक्रमण, कब्जा या निर्माण नहीं करें व करावें की डिक्री जारी फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उप. नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वादी की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए वादी साक्ष्य में PW-1 चमना पुत्र वलु जाति कोली निवासी पांचरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर व PW-2 हरचंद पुत्र चमना जाति कोली निवासी पांचरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 ई.एक्स.पी.01 जमाबंदी(खेवट/खतोनी)(प्रतिलिपि) अंतिम चौसला आधार संवत् 2075–2078 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी मौजा पांचरला पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा के खाता संख्या नया 47 के खसरा संख्या 189/74 रकबा 2–0234 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श 02 ई.एक्स.पी.02 खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि) मौजा पांचरला पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा के खाता संख्या नया 47 के खसरा संख्या 189/74 रकबा 2–0234 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व प्रदर्श 03 ई.एक्स.पी.03 नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2024 मौजा पांचरला पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा के खाता संख्या नया 47 के खसरा संख्या 189/74 रकबा 2–0234 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit) करवाए।

वकील वादी उपस्थित। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उन पर वादी वकील की विस्तार पूर्वक बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन–मनन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अधि. [illegible] आंशिक स्वीकार योग्य है। अस्तु,

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:06:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

वादी का वाद आंशिक रूप से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा की नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2024 (प्रदर्श 03) में वर्णित/दर्शित अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा पांचरला पटवार हल्का फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 189/74 रकबा 2–0234 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बरंग हरा व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा बरंग लाल वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण को जबरन अवैधानिक रूप से किए गए कब्जे से भौतिक रूप से बेदखली कर वादीगण को कब्जा सुपूर्द किए जाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी पालना रिपोट(प्रदर्श 03) दिनांक 10.05.2024 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। अस्तु, इस आशय की तहरीर तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(बदीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:06:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 1455 दिनांकः–27.05.2024

प्रेशितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विशयः– नेखमबंदी आदेश की पालना भिजवाने बावत।

प्रसंगः–श्रीमान का पत्र क्रमांक भू.अ. / 2023 / 533 दिनांक 06.04.2023 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है राजस्व वाद संख्या 11 / 2023 निर्णय दिनांक 06.04.2023 अनवान चमना बनाम केसरा वगैरह मौजा पांचरला के खसरा नंबर 189 / 74 रकबा 2.0234 हैक्टर का भू मापक नियुक्त किया गया था। भू अभिलेख निरीक्षक फागलिया (भू मापक आयुक्त) द्वारा दिनांक 10.05.2024 को उक्त खसरान की मौके पर पैमाइश कर बिन्दु A से F कायम किये गए। बिन्दु A से C व E से F पर पर सहमति से पक्के नेखम लगाए गए। शेष बिन्दु D पर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति व पड़ोसी खतेदारों का कब्जा होने से अस्थाई नेखम लगाकर सलंग्न नक्शा बरंग अवेध कब्जे को दर्शाया जाकर नेखमबंदी की फर्द मौका रिपोर्ट इस कार्यालय में पेश की मूल रिपोर्ट प्रति हस्ताक्षर के इस पत्रांक के सलंग्न श्रीमान की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलंग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार(भू.अ.) सेड़वा

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature valid

Digitally signed by Prithviraj Parmar
Designation : Tehsildar
Date: 2024.05.27 18:26:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:06:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श-मांड

(1)

प्रदर्श (3)

मौका फर्द – नेखमबंदी

आज दिनांक 10/05/2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक /भू.अ./1157-1158 दिनांक 13/04/2023 एवं श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 11/2023 अनवान चमना बनाम केसरा वगैरह में ग्राम पोंचरला के खेत खसरा सं. 189/74 रकबा 2.0234 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि की नेखमबंदी करने पटवारी हल्का फागलिया के साथ मौके पर आये।

मौके पर प्रार्थी, विप्रार्थीगण व अन्य मौतबरान पूर्व सूचना के उपस्थित आये, प्रार्थी चमना पुत्र वलु कौम कोली के खसरा संख्या 189/74 रकबा 2.0234 हैक्टर भूमि की पैमाईश लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम व श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के भू अभिलेख शाखा से जारी मोनीटेस क्रमांक 994 दिनांक 01/05/24 के अनुसार की गई जिसके बिन्दु निम्नानुसार है –

ग्राम पोंचरला के खसरा सं. 189/74 रकबा 2.0234 है० भूमि के बिन्दु सं. A से B 39 गट्ठा, B से C 128 गट्ठा, C से D 42 गट्ठा, D से E 24 गट्ठा, E से F 4 गट्ठा, F से A 97 गट्ठा, नाप कर निशानात लगाये गये, बिन्दु सं. A B C E F पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने पर पक्के नेखम लगाये गये एवं बिन्दु सं. D पर केसरा वल्द वलु कौम कोली का रहवासी पक्का मकान का निर्माण होने से पक्का नेखम नहीं लगाया गया, अवैध कब्जा व निर्माण को निम्न नक्शानुसार बरंग अलग² दर्शाया गया है व प्रार्थी के खेत की भूमि पर विप्रार्थी का निम्नानुसार कब्जा है –

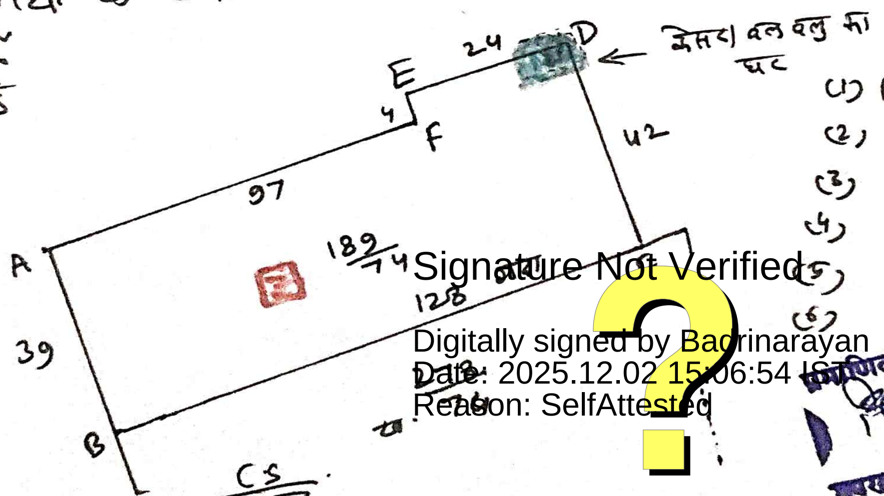

बिन्दु माप –

(1) A से B = 39 गट्ठा
(2) B से C = 128 गट्ठा
(3) C से D = 42 गट्ठा
(4) D से E = 24 गट्ठा
(5) E से F = 4 गट्ठा
(6) F से A = 97 गट्ठा

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

पटवारी फागलिया

ILR सेड़वा/फागलिया

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:06:54 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	अवैध धारक का नाम	वर्ग	कब्जे का प्रकार	रकबा
1.	केसरा पुत्र वलु कौम कोली सा० पांचरला	इरा	पक्का मकान व बाड़ा	0.08 हे.
2.	बादली पुत्री पुनमा पत्नी पुनाराम कौम कोली	[illegible]	एक पक्का कमरा व बाड़ा	0.08 हेक्टर

खसरा सं. 189/74 के बीचों-बीच पड़ोसी खाता नं. 278/74 के खातेदार बादली पुत्री पुनमा कौम कोली का अवैध कब्जा है उपरोक्त अवैध कब्जाधारियों द्वारा अपना कब्जा हटाने से इन्कार किया, प्रार्थीगण व विपार्थीगण को किसी तरह का विवाद नहीं करने व मौके पर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई।

राजस्व आवेदन सं. 11/2023 जनवान चमना बनाम केसरा वगैरह में नेखमबंदी करने हेतु पड़ोसी खातेदारान को विधिवत नोटिस तामील करवाये गये।

फर्द मौका नेखमबंदी पढ़कर सुनाई गई तथा उपस्थितों के हस्ताक्षर / अं. निशान अंकित करवाये गये।

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर ....
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर ....

C.S.
तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

10/05/24
ILR भागालिया

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

चमना
प्रेमाराम
आजड़
हरचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:06:54 IST
Reason: SelfAttested